भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3408

दिनांक 16 मार्च, 2021 को उत्तर देने के लिए

पीएसयू का विनिवेश

3408. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों को अपने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का विनिवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है और एक विशेष प्रयोजन वाहन का उपयोग करते हुए राज्यों के लिए केन्द्रीय निधि के प्रोत्साहन पैकेज पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार रूग्ण या घाटे में चल रही सीपीएसईएस को बंद करने के कार्य को समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है और एक संशोधित तंत्र की शुरूआत कर रही है जो इस प्रकार की इकाइयों का समय पर बंद करना सुनिश्चित करना करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक निर्धारित/प्राप्त लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनीतिक विनिवेश के लिए नई नीति की घोषणा की है। यह नीति स्ट्रेटजिक और नॉन-स्ट्रेटजिक क्षेत्रों में विनिवेश के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है । बजट घोषणा में राज्यों को अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का विनिवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव भी शामिल है ।

(ग) और (घ): माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2021-22 के बजट भाषण में रूग्ण और घाटे में चल रही इकाइयों को समय पर बंद करने को सुनिश्चित करने के लिए एक संशोधित तंत्र शुरू करने की भी घोषणा की गई है । लोक उद्यम विभाग (डीपीई) नोडल विभाग होने के नाते रूग्ण और घाटे में चल रहे सीपीएसईज़ का संशोधित क्लोजर तंत्र तैयार करेगा और उचित प्रक्रिया पूरी होने पर संशोधित तंत्र को अधिसूचित करेगा।

*****